(भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

फा.सं.3-1/2015-एसकेटी-। भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली दिनांक: ॐ सितम्बर, 2019

अधिसूचना

फा.सं.3-1/2015-एसकेटी-I:- अध्यक्ष, महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान व मानव संसाधन विकास मंत्री, प्रतिष्ठान के संगम ज्ञापन के नियम 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हर्षपूर्वक, श्री देवी प्रसाद त्रिपाठी, कुलपति, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार को दिनांक 20.09.2019 से प्रतिष्ठान के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं। उपाध्यक्ष का कार्यकाल प्रतिष्ठान-अध्यक्ष के सह-समाप्य होगा तथा कार्यालय की शर्तें संगम ज्ञापन के नियम 18 एवं उसके अन्य नियमों के अधीन होगा।

र्भम्य (संजय कुमार सिन्हा) संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय मिन्टो रोड, नई दिल्ली-110001

(TO BE PUBLISHED IN PART-I SECTION -I OF THE GAZATTE OF INDIA)

F.No.3-1/2015-Skt.I Government of India Ministry of Human Resource Development Department of Higher Education

Shastri Bhawan, New Delhi Dated: 30K Sep, 2019

NOTIFICATION

F.No.3-1/2015-Skt.I:- In exercise of powers conferred under Rule 18 of Memorandum of Association (MoA) of Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Vidya Pratisthan (MSRVVP), the Chairman-MSRVVP i.e. Minister for Human Resource Development is pleased to appoint Shri Devi Prasad Tripathi, Vice-Chancellor, Uttrakhand Sanskrit Vishwavidyalaya, Haridwar as the new Vice-Chairman of MSRVVP with effect from 20.09.2019. The tenure of the Vice-Chairman will be coterminous to that of the Chairman-MSRVVP having other terms and conditions of office as per the Rule 18 and other provisions of the MoA.

(Sanjay Kumar Sinha)
Joint Secretary to the Govt. of India

To,

The Manager,

Government of India Press

(alongwith the Hindi Version)

Minto Road

New Delhi-110001

}